

नगर पालिक निगम रायपुर (छ.ग.)
दिनांक 22/08/20

आई.डी. नं. [] तृतीय प्रति

एकीकृत सिटी सेनीटेशन एवं ठोस प्रबंधन परियोजना न.पा.नि. अधिनियम 1965 की धारा 427 की उपधारा (6) एवं (36) के अंतर्गत सेवा शुल्क

बुक क्रमांक 78 रसीद क्रमांक 51

श्री/श्रीमती []
पिता / पति []
वार्ड क्र. व नाम []
भवन का उपयोग []
भवन चार्ज []
वित्तीय वर्ष / माह []
रूपये शब्दों में []

नगद/बैंक का धनादेश/डी.डी. क्रमांक 036964 दिनांक के द्वारा प्राप्त हुआ।

रु. 6000/-

वसूलकर्ता के हस्ताक्षर

नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

आई.डी. नं. []

नगर पालिक निगम, अधिनियम 1965 की धारा 132 - क द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद् द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के घर - घर से संग्रहण के लिए जारी उपभोक्ता प्रभार अंतर्गत -

उपभोक्ता शुल्क राशि रूपये 9000/- प्रतिमाह, माह 07/192

बुक क्रमांक: 1248 रसीद क्रमांक: 42

श्री/श्रीमती []
पिता / पति []
भवन क्र. / क्षेत्र का नाम []
वार्ड क्र. एवं नाम []
भवन का उपयोग : आवासीय/वाणिज्यिक/अन्य प्रयोजन

दिनांक: 12/12/20

सील
वसूलकर्ता के हस्ताक्षर

नोट: गीला एवं सूखा कचरा अलग - अलग देवे।
अपने आसपास गंदगी न फैलावे।
कचरा डस्टबिन में ही डाले।
कचरा घर अपने कचरे का भुगतान करें।

प्रतिबंधित क्वार्टर का उपयोग न करें।
डोर टू डोर कनेक्शन से संबंधित शिकायत हेतु टोल फ्री नम्बर 18002709992 का उपयोग करें।

Nagar Nigam Bills